



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1948 (श10)
(सं० पटना 1207) पटना, बुधवार, 30 सितम्बर 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2026

सं० एम2-03(TC&GC)/2026-62—बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं सारण शिक्षक के ऐसे निर्वाचकों को बिहार विधान परिषद् के चालू द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 में मतदान करने हेतु मतदान केन्द्र आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपना पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 10 (दस) वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं अन्य निदेशों से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली आदेश संख्या-3/4/आईडी/2026/एसडीआर (परिषद्) दिनांक 29.09.2026 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

माधव कुमार सिंह,

अपर सचिव-सह-

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001/दिनांक 29 सितंबर, 2026

सं. 3/4/आईडी /2026/एसडीआर (परिषद)—यतः, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2000 से लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में विनिर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान की नीति का अनुसरण करता आ रहा है ताकि निर्वाचनों में प्रतिरूपण को रोका जा सके जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत वास्तविक निर्वाचकों के मत देने के अधिकार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35(3) और 37(2)(ख) के उपबंधों के दृष्टिगत आयोग यह निर्देश जारी करता रहा है कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचक मतदान केंद्र पर अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या अन्य विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और उनकी ओर से उक्त निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर या इनकार करने पर उनको मतपत्र प्रदान करने या मत देने की अनुमति दिए जाने से मना किया जा सकता है; और

3. यतः, निर्वाचकों की पहचान और प्रतिरूपण के प्रति सुरक्षोपाय से संबंधित उक्त प्रावधान, 'स्नातक' और 'शिक्षक' निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में भी समान रूप से लागू होते हैं और चूंकि इन निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक, विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में भी निर्वाचक होते हैं, इसलिए उन्हें उनके संबंधित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए होंगे;

4. अतः, अब सभी सुसंगत कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि बिहार राज्य में (1) पटना स्नातक, (2) दरभंगा स्नातक, (3) तिरहुत स्नातक (4) केसी स्नातक, (5) पटना शिक्षक, (6) दरभंगा शिक्षक, (7) तिरहुत शिक्षक और (8) सारण शिक्षक, कर्नाटक राज्य में (1) कर्नाटक दक्षिण-पूर्व स्नातक, (2) कर्नाटक पश्चिम स्नातक, (3) कर्नाटक उत्तर-पूर्व शिक्षक और (4) बंगलौर शिक्षक, महाराष्ट्र राज्य में (1) औरंगाबाद संभाग स्नातक, (2) पुणे संभाग स्नातक, (3) नागपुर संभाग स्नातक, (4) अमरावती संभाग शिक्षक और (5) पुणे संभाग शिक्षक और उत्तर प्रदेश राज्य में (1) लखनऊ संभाग स्नातक, (2) वाराणसी संभाग स्नातक (3) आगरा संभाग स्नातक, (4) मेरठ संभाग स्नातक, (5) इलाहाबाद-झांसी संभाग स्नातक (6) लखनऊ संभाग शिक्षक, (7) वाराणसी संभाग शिक्षक, (8) आगरा संभाग शिक्षक, (9) मेरठ संभाग शिक्षक, (10), बरेली-मुरादाबाद संभाग शिक्षक, और (11) गोरखपुर-फैजाबाद संभाग शिक्षक, निर्वाचनों क्षेत्रों से सभी निर्वाचकों, जिन्हें उनके एपिक जारी किए गए हैं, को दिनांक 29 सितम्बर, 2026 (मंगलवार) को

अधिसूचित किए गए उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश विधान परिषदों के वर्तमान द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर आने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इन कार्डों को प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:-

- (i) आधार कार्ड,
- (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
- (iii) पैन कार्ड,
- (iv) भारतीय पासपोर्ट,
- (v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र,
- (vi) सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र,
- (vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र,
- (viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,
- (ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, और
- (x) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

आदेश से,
एस. बी. जोशी,
प्रधान सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi –110001/ Dated: 29th September, 2026

No.3/4/ID/2026/SDR(Councils)—Whereas, the Election Commission has been following the policy of compulsory identification of electors by means of specified identification documents at elections to the House of the People and Legislative Assemblies from the year 2000 onwards, so as to prevent impersonation at elections thereby making the right of genuine electors to vote under section 62 of the Representation of the People Act, 1951 more effective; and

2. Whereas, keeping in view the provisions of Rules 35(3) and 37(2)(b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Commission has been issuing directions that the electors at election to House of the people and Legislative Assemblies shall produce their Electors Photo Identity Card or other specified documents at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card or documents may result in the denial of supply of a ballot paper to them and permission to vote; and

3. Whereas, the said provisions regarding identification of electors and safeguards against impersonation are equally applicable at elections from Graduates' and Teachers' Constituencies, and as the electors in these constituencies are also electors in assembly constituencies, they would have been supplied with Electors Photo Identity Card as electors in their respective Assembly Constituencies;

4. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all the electors at the (1) Patna Graduates', (2) Darbhanga Graduates', (3) Tirhut Graduates', (4) Kosi Graduates', (5) Patna Teachers', (6) Darbhanga Teachers', (7) Tirhut Teachers', & (8) Saran Teachers' in the State of Bihar; (1) Karnataka South-East Graduates', (2) Karnataka West Graduates', (3) Karnataka North-East Teachers' & (4) Bangalore Teachers' in the State of Karnataka; (1) Aurangabad Division Graduates', (2) Pune Division Graduates', (3) Nagpur Division Graduates', (4) Amravati Division Teachers' & (5) Pune Division Teachers' in the State of Maharashtra and (1) Lucknow Division Graduates', (2) Varanasi Division Graduates', (3) Agra Division Graduates', (4) Meerut Division Graduates', (5) Allahabad-Jhansi Division Graduates', (6) Lucknow Division Teachers', (7) Varanasi Division Teachers', (8) Agra Division Teachers', (9) Meerut Division Teachers',

(10) Bareilly-Moradabad Division Teachers' & (11) Gorakhpur-Faizabad Division Teachers' in the State of Uttar Pradesh, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the **current biennial elections to the Bihar, Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh Legislative Councils from the said Constituencies, notified on 29th September, 2026 (Tuesday)**. However, those electors, who are not able to produce their EPICs, will have to produce any of the following alternative documents for establishing their identity:-

- i. Aadhaar Card,
- ii. Driving License,
- iii. PAN Card,
- iv. Indian Passport
- v. Service identity card issued to its employees by state/Central government, Public Sector Undertakings, Local bodies or other Private Industrial Houses.
- vi. Official identity Cards issued to MPs/MLAs/MLCs.
- vii. Service Identity Card issued by the educational Institutions in which the electors of the concerned Teachers'/Graduates' Constituency may be employed,
- viii. Certificate of degree/Diploma issued by University, in original,
- ix. Certificate of physical handicap issued by competent Authority, in original,
- x. Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India.

By order,
S.B.JOSHI,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1207—571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>